



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

क्रमांक 451/गोपनीय/UFM/2017

अम्बिकापुर, दिनांक :- 08/03/2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा वर्ष 2017 की विभिन्न कक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 23 (एफ) के प्रावधानानुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये दण्ड स्वरूप अन्तिम निर्णय निम्नानुसार हैं:-

केन्द्र क्र.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	विषय/प्रश्नपत्र	अन्तिम निर्णय
(103)B.A. Part -III Exam. (March - April) 2017				
049	1034960015	Ku. Sushila Kalo	01 F.C. Hindi Bhasha	प्रश्नपत्र निरस्त
(952) Diploma in Pharmacy Part-II (Supplementary) Exam. (Sept.-Oct.) 2017				
001	9525660030	Balram Kumar Kashyap	03 Pharmacology & Toxicology	प्रश्नपत्र निरस्त

(Signature)
कुलसचिव

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 452/गोपनीय/परीक्षाफल/2017

अम्बिकापुर, दिनांक 08/03/2018

तिलिपि :-

- 1- माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- संकायाध्यक्ष, सम्बन्धित संकाय की ओर सूचनार्थ।
- 3- प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अधिष्ठाता/प्रभारी छात्र कल्याण, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- 5- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- संपादक/ब्यूरो चीफ की ओर भेज कर अनुरोध है कि उपरोक्त परीक्षा परिणाम अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 7- विश्वविद्यालय सूचना पटल।
- 8- संबंधित नस्ती।

(Signature)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय)
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)